



# कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर

दूरभाष क्र. 07782-222414, फैक्स- 07782-226820

E-mail : dfo-jagdalpur.cg.@gov.in

क्र./क.त.अ./1039  
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 18/08/2020

मुख्य वन संरक्षक  
जगदलपुर वृत्त जगदलपुर

**विषय :-** Diversion of forest Land for non-forest purpose under forest conservation Act. 1980  
Proposed for Bharat Net phase-II bastar division " Bharat Net Project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5987 GPS Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32466 k.m. the laying of Optical Fiber cable of 32466 k.m. will involve 26 districts across the state, area 8.346 ha.- regarding.  
पंजीयन क्रमांक/FP/CG/OF/42567/2019

**संदर्भ :-**

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) नवा रायपुर छ.ग. का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध /विविध/115 -824/1403 रायपुर दिनांक 16.07.2020।
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/व.त.अ./705 दिनांक 18.06.2020।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि आवेदनकर्ता संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा बस्तर वनमण्डल के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाने हेतु वनभूमि 5.872 हे. एवं राजस्व वन -2.474 हे. कुल 8.346 हे. वनभूमि प्रस्तावित किया गया है।

इस कार्यालय के संदर्भित पत्र क्रमांक-2 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में संरक्षित वनभूमि में ही नारंगी वनभूमि दर्शित था तथा आरक्षित वनभूमि में संरक्षित वनभूमि दर्शित था। जिससे संरक्षित वनभूमि एवं आरक्षित वनभूमि में भिन्ना थी, जो टंकण त्रुटि है। संदर्भित पत्र क्रमांक-1 द्वारा प्रस्ताव में दिये गये निर्देशानुसार Form A Part -II में आरक्षित वन-2.075 हे. , संरक्षित वन- 2.409 हे. ,नारंगी क्षेत्र - 1.388 हे. एवं राजस्व वन -2.474 हे. कुल 8.346 हे. वनभूमि का सुधार किया गया है ( i. वनक्षेत्र का विवरण पृष्ठ क्रमांक-17 से 21 ii) Form -IV पृष्ठ क्रमांक- 80 से 82 iii) प्रपत्र-3 स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन पृष्ठ क्रमांक- 96 से 98 iv) भाग- एक पृष्ठ क्रमांक-114 v) भाग-दो पृष्ठ क्रमांक- 115 एवं 118 पाँच -पाँच प्रतियों में संलग्न)। वन प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा प्रदाय सत्यापित मैप फार्म- ए पार्ट-2 के अतिरिक्त जानकारी में अपलोड किया गया है। चेक लिस्ट अनुसार 21 बिन्दुओं में विवरण निम्नलिखित है :-

| क.                           | विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पृष्ठ संख्या |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| GOI (MOEF) से संबंधित अभिलेख |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 1                            | आवेदक विभाग का मांग पत्र<br>आवेदनकर्ता संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा बस्तर वनमण्डल के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाने हेतु रकबा 8.346 हे. वनभूमि/राजस्व वनभूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980, अन्तर्गत मांग की गई है। | 01 से 15     |
| 2                            | रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु आनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रति :-<br>प्रस्ताव का आन लाईन रजिस्ट्रेशन क्र./FP/CG/OF/42567/2019 आबंटित किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क जमा किया गया है।                                                       | 16           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3  | <b>वन क्षेत्र विवरण</b><br>आवेदनकर्ता संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा बस्तर वनमण्डल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र भानपुरी, बस्तर, करपावण्ड, बकावण्ड, जगदलपुर एवं माचकोट परिक्षेत्र अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रभावित वनभूमि निम्नानुसार है :-<br>आरक्षित वन-2.075 हे. ,संरक्षित वन - 2.409 हे. ,नारंगी क्षेत्र- 1.388 हे. एवं राजस्व वन -2.474 हे. कुल 8.346 हे. वनभूमि है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 से 35   |
| 4  | <b>गैर वन क्षेत्र का विवरण</b><br>बस्तर वनमण्डल, के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रभावित गैर वनक्षेत्र का कुल रकबा 21.296 हे. है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36 से 40   |
| 5  | <b>प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपो शीट 1:50000 स्केल पर</b><br>प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इण्डिया का मानचित्र संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41 से 59   |
| 6  | <b>वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप</b><br>वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 से 79   |
| 7  | <b>प्रपत्र- 4 में प्रस्ताव</b><br>भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना भारत नेट प्रोजेक्ट फेस-II के अंतर्गत इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर (छ.ग.) के द्वारा बस्तर जिला के बस्तर वनमण्डल अंतर्गत अधिनस्त ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रभावित वनभूमि 5.872 हे. एवं राजस्व वन -2.474 हे. कुल 8.346 हे. वनभूमि प्रस्तावित है। इसमें वृक्ष विदोहन नहीं होना है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 से 88   |
| 8  | <b>प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप</b><br>प्रस्ताव में प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 89 से 91   |
| 9  | <b>न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र</b><br>प्रस्ताव में न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92         |
| 10 | <b>अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों/जिम्मेदारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही</b><br>इस परियोजना अंतर्गत किसी भी प्रकार से अधिनियम उल्लंघन नहीं किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 93         |
| 11 | <b>वनअधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक )</b><br>भाग-1 भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना भारत नेट प्रोजेक्ट फेस-II के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रभावित वनभूमि 5.872 हे. एवं राजस्व वन -2.474 हे. कुल 8.346 हे. वनभूमि आवश्यकता है। उपरोक्त केबल रूट की 0.50 मीटर चौड़ाई पर 1.65 मीटर की गहराई पर भूमिगत केबल बिछाने का कार्य किया जाना है।<br>भाग-2 बस्तर वनमण्डल के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु आरक्षित वन-2.075 हे. ,संरक्षित वन - 2.409 हे. ,नारंगी क्षेत्र- 1.388 हे. एवं राजस्व वन -2.474 हे. कुल 8.346 हे. वनभूमि है। वनभूमि का घनत्व 0.4 से 0.6 तक परियोजना की कुल लागत रु. 54.90 करोड है। शासन के निर्देशानुसार वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग (आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु) अनुमति प्रदान की जा सकती है। | 94 से 118  |
| 12 | <b>ऐतिहासिक स्थल प्रमाण पत्र</b><br>प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहे है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 119 से 120 |
| 13 | <b>संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र</b><br>(भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क. /F.No.11-09/98-FC (pt) दिनांक 28.10.2014) संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121 से 124 |
| 14 | <b>जिले की कुल वनभूमि (रकबा हे.में)</b><br>बस्तर जिले के वनमण्डल अंतर्गत कुल वन भूमि 2211.807 वर्ग कि.मी. है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 125        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 15 | व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वनभूमि रकबा हे.में.<br>बस्तर वन मण्डल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत जिले के स्वीकृत 25 प्रकरणों में प्रभावित हुई वनभूमि रकबा 963.765 हे. है।                                                                                                                                                                                                                                                       | 126 से 127 |
| 16 | व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वनभूमि रकबा हे.मे<br>बस्तर वनमण्डल के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत इसी कटेगरी के स्वीकृत प्रकरण 4 रकबा 3.408 हे. वनभूमि है।                                                                                                                                                                                                                                                    | 128        |
| 17 | प्रस्तावित क्षेत्र को 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी<br>ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के वन प्रबंधन सूचना प्रणाली मण्डल रायपुर से प्राप्त वनस्पति मानचित्र के आधार पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के कुछ भाग 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत आता है। अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है। | 129        |
| 18 | वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र<br>कलेक्टर, जिला बस्तर द्वारा आवेदित क्षेत्र के लिये वन अधिकार संबंधित प्रमाण पत्र दिनांक 30.11.2019 को जारी किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                 | 130 से 131 |
| 19 | राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र<br>कलेक्टर, जिला बस्तर के पत्र क्रमांक/क/रीडर/2019 दिनांक 13.11.2019 द्वारा राजस्व वनभूमि के उपयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जो प्रस्ताव में संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                      | 132 से 144 |
| 20 | पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण<br>प्रस्ताव का पंजीयन क्र./FP/CG/OF/42567/2019 तथा पंजीयन शुल्क रु. 6000/- एवं प्रोसेसिंग शुल्क रु 18000/- कुल 24,000/- आवेदन संस्थान द्वारा जमा किया गया है, जिसे कोषालय में चालान क्रमांक - 13 दिनांक 28.01.2020 द्वारा पी.डी.खाता में जमा किया गया है।                                                                                                                                                       | 145        |
| 21 | राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छ.ग. की अनुशंसा<br>कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर से OFC लाईन नहीं गुजर रही है।                                                                                                                                                                                                                                                                  | 146 से 203 |
| 22 | प्रत्येक OFC लाईन किस ग्राम से किस ग्राम तक प्रस्तावित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 161 से 182 |
| 23 | प्रत्येक OFC लाईन में प्रभावित वन कक्षों का विवरण एवं कुल रकबा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 से 35   |
| 24 | DGPS रिपोर्ट KML फाईल संलग्न।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 148 से 203 |

अतः कमियों की पूर्ति कर जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

वन मण्डलाधिकारी

वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर

पृ.क्रमांक/क.त.अ./1040

जगदलपुर, दिनांक 12/08/2020

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नया रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड वास्ते-संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आवेदक) छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी

बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर